रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18062024-254757
CG-DL-E-18062024-254757

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2235]	नई दिल्ली, मंगलवार, जून 18, 2024/ज्येष्ठ 28, 1946
No. 2235]	NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 18, 2024/JYAISHTHA 28, 1946

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2024

का.आ. 2353(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या का.आ. 1983 (अ) तारीख 14 मई, 2024, जो कि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 14 मई, 2024 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (एलटीटीई) को विधिविरुद्ध संगम घोषित किया है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि, उक्त अधिनियम की धारा 7 और धारा 8 के अधीन उपरिवर्णित विधिविरुद्ध संगम से संबंधित, उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग राज्य सरकारों तथा संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा भी किया जाएगा।

[फा. सं. 11034/2/2024-सीटी-II]

अभिजीत सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2024

S.O. 2353(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government declared the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), as an unlawful association *vide* notification number S.O. 1983 (E), dated the 14^{th} May, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), dated the 14^{th} May, 2024.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 42 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby directs that all powers exercisable by it under section 7 and section 8 of the said Act shall also be exercised by the State Governments and the Union territory Administrations in relation to the above said unlawful association.

[F.No.11034/2/2024-CT-II]

ABHIJIT SINHA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2024.06.18 15:41:00 +05'30'